

04.09.2024 पत्रावली पेश हुई।

प्राथमिक एवं माध्यमिक प्राथमिक अनुपातित।
रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई गई।
बावजूद इसके कोई अर्पित नहीं। इसके प्रति
चेतन हैं कि प्राथमिक एवं माध्यमिक प्राथमिक
अपने प्राथमिक-पत्र को लेकर गम्भीर नहीं हैं अतः
प्राथमिक-पत्र अलग-थलग अलग पैरों इत्यादि सर
पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैनल सुधार लेकर
नम्बर से कम की जाकर डाकिल दफ्तर से।



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांघौर